

232



श्रीमान् , माननीय सदस्य महोदय , राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्र.क्र. I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/0437

सन् 2018

महेन्द्र कुमार तनय श्री रामनाथ श्रीवास्तव आयु 49 वर्ष

निवासी बडागांव तहसील मउरानीपुर जिला झांसी उ.प्र.

हाल निवासी -बी -153 संजय नगर भोपाल म.प्र.

द्वारा मुख्यतयार मोहन गोस्वामी पुत्र श्री विक्रम गिरि आयु

वार्ड -1 नारायणपुरा रोड छतरपुर म.प्र.

..... आवेदक

बनाम

परमलाल पुत्र श्री घन्सू प्रजापति, आयु 62 वर्ष

निवासी ग्राम सददूपुरा राजस्व निरीक्षक मंडल चन्द्रनगर

तहसील राजनगर जिला छतरपुर म.प्र.

.....अनावेदक

श्री विनायक भागवत

द्वारा आज दि. 15-1-18 को

प्रस्तुत। प्रारम्भिक कार्य हेतु दिनांक 18-1-18 नियत।

15-1-18
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू. राजस्व संहिता 1959

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 02/01/2018 जो योग्य

अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला

छतरपुर द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 124/अपील /2016

-2017 में पारित किया।

श्रीमान् ,

आवेदक सादर निम्नलिखित निवेदन करता है:-

विनायक भागवत

PS/वि.क्र.

2018/111

15-01-2018

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/437

महेन्द्र विरूद्ध परमलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 124/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 02-01-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य</p> <p>20/02/2019</p>